राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत
राज्य कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांकः 18 फरवरी, 2019
स्थानः कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय का कार्यालय कक्ष।
समयः सायं 4:30 बजे।

सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत शासनादेश संख्या–4183/33–3–2018–15 सी.एम./2013 टी.सी. दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित समिति सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री महेन्द्र कुमार	सचिव, उ0प्र0 शासन	पंचायती राज विभाग।
2.	श्री मासूम अली सरवर	निदेशक	पंचायती राज विभाग।
3.	श्री राजेन्द्र सिंह	अपर निदेशक	पंचायती राज विभाग।
4.	श्री के.एस. अवस्थी	संयुक्त निदेशक	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट)
5.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग।
6.	श्री जोगेन्द्र प्रसाद	उपसचिव, उ0प्र0 शासन	पंचायती राज विभाग।
7.	श्री अजय प्रकाश	उपायुक्त, मनरेगा सेल	ग्राम्य विकास विभाग।
8.	श्रीमती अजन्ता देवी	संयुक्त निदेशक	नियोजन विभाग।
9.	श्री आर.के. सिंह	संयुक्त निदेशक	समाज कल्याण विभाग।
10.	श्री भगवती	संयुक्त निदेशक	समाज कल्याण विभाग।
11.	श्री राम नगीना मौर्य	संयुक्त निदेशक	स्वास्थ्य विभाग।
12.	डॉ0 नरेन्द्र प्रताप भल्ल	वरिष्ठ शोध अधिकारी	कृषि विभाग।
13.	श्री ए.के. राय	उपनिदेशक	जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठक।
14.	श्री ए.के. सिंह	अपर मुख्य अधिकारी	जिला पंचायत, आज़मगढ।

बैठक में चर्चा के बिन्दुओं पर समिति के निर्णय निम्न प्रकार से हैः–

एजेण्डा बिन्दु	समिति द्वारा लिये गये निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का परिचय– • पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ किया गया है। • प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर योजना की स्वीकृति सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। • पूर्व में यह योजना राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से शत–प्रतिशत केन्द्रीय वित पोषण से	**समिति संज्ञानित हुई।**

संचालित थी। • योजना के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देश सिद्वांत शासनादेश संख्या–4183/33–3–2018–2015 सी.एम./2013टी.सी. दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 से निर्गत है जिसका अनुश्रवण उच्च स्तरीय समितियों के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकतानुसार किया जाएगा। **योजना के संचालन हेतु चार स्तर पर समिति का गठन किया गया है–** 1. मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 की अध्यक्षता में **राज्य सलाहकार समिति**। 2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **राज्य संचालन समिति**। 3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में **राज्य कार्यकारी समिति**। 4. निदेशक, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में **अनुश्रवण समिति**। **समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत।**	
एजेण्डा बिन्दु–2– राजीव गॉंधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित पंचायत स्टेट एक्सक्यूटिव कमेटी की अष्टम् बैठक में लिए गए निर्णयों के परिपालन के अनुरूप जारी कार्यों की प्रगति स्थिति एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत आयोजित प्रथम बैठक के एजेण्डे की पुष्टि।	• **समिति द्वारा एजेण्डा की पुष्टि की गयी।**
अष्टम् बैठक के अपेक्षित बिन्दु एवं निर्णयों के परिपालन की स्थिति	
बिन्दु–1– समिति द्वारा पी.एफ.एम.एस. का पंजीकरण शीघ्र पूर्ण किए जाने एवं आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से परामर्श लिए जाने का सुझाव दिया गया। • ग्राम पंचायतों का पंजीकरण (58,717) पूर्ण कर लिया गया है। • पंचायतों से सम्बन्धित वेंडर एवं लेबर पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। • 14वें वित आयोग अन्तर्गत द्वितीय किश्त (दिनांक 24 जनवरी, 2019) की धनराशि ग्राम पंचायतों को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से प्रेषित की गई है। **समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत।**	• **समिति संज्ञानित हुई।**
बिन्दु–2– अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप मेरठ, हापुड़, कुशीनगर, गाजियाबाद एवं सिद्वार्थनगर में ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट कार्यो को डाक्यूमेंट किए जाने की कार्यवाही किया जाना। • वित्त आयोग एवं अन्य स्त्रोतों से कराए गए उत्कृष्ट कार्यो को सूचना विभाग में पंजीकृत एजेंसी द्वारा डॉक्यूमेन्टरी फिल्म निर्माण किए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। **समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत।**	• **समिति संज्ञानित हुई।**

बिन्दु–2– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से पृथक से बैंक एकाउन्ट राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाना ।

- योजनान्तर्गत पृथक से खाता विजया बैंक, गोमतीनगर में खोलते हुए अवशेष धनराशि केन्द्रांश रू0 30.25 उसमें हस्तांतरित की जा चुकी है।

समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत।

- समिति संज्ञानित हुई।

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) योजना की प्रगति– **(Rs. in lakh)**

Sl.	Component	Received Amount	Expenditure Booked as per current Annual Plan	Unspent Balance as per Actual
	Unspent balance of FY 2016-17	**3494.47**		
	Institutional Infrastructure (FY 2016-17)		2000	1035.74
	PMU (2016-17)		458.73	
A	CB- GPDP training (New activity 2017-18)	5094.78	3425.97	1772.418
B	CB- other than GPDP training (New activity 2017-18)	544.13	626.69	0
C	Institutional Infrastructure Construction of 08 DPRC	1600	1600	0
D	Recurring cost 25 DPRC	250	250	0
F	Technical Support under E-Governance (TSG)	406.94	261.91	145.03
	Sub Total (from 1 to 7)	**7895.85**	**6164.57**	1917.448
G	IEC 1% of total cost	78.9585	89.08	0
H	PMU (5%)	394.7925	322.65	72.1425
	Total Budget available for 2017-18 (unspent Rs. 3494.47+ Rs. 8407.00+ Rs. 158.89)	**12060.36**	**9035.03**	**3025.3305**

समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत।

- समिति संज्ञानित हुई।
- समिति द्वारा प्रत्येक गतिविधि पर बिन्दुवार चर्चा की गयी।
- समिति को अवगत कराया गया कि:–
  - क्र.सं. A:- CB-GPDP training में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) पर प्रशिक्षण एवं एक्सपोज़र विज़िट हेतु प्रिट, मण्डलों, जनपदों एवं डी.पी. आर.सी. को 639364 (अधिकारियों, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, डिस्ट्रिक रिसोर्स ग्रुप, सचिव एवं टास्क फोर्स) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु धनराशि हस्तांतरित की गयी।
  - क्र.सं. B:- CB-other than GPDP training में ओ.एस.आर.(OSR-Own Source of Revenue) एवं विमुद्रीकरण (Demonatization) पर मण्डलों, जनपदों एवं डी.पी. आर.सी. को 71073 (ग्राम प्रधान एवं सचिव) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु धनराशि हस्तांतरित की गयी।
  - उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 10 एवं वर्ष 2017–18 में स्वीकृत 08 डी.पी.आर.सी. के निर्माण हेतु रू0 2.00 करोड की दर से हस्तांतरित धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति से अवगत कराया गया।

एजेण्डा बिन्दु–3– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं अवमुक्त केन्द्रांश

के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त किए जाने पर चर्चा।	
• योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में धनराशि रू0 200.00 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधानित है।	
• आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि रू. 249.24 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश रू. 149.54 एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में धनराशि रू0 99.70 करोड़ सम्मिलित है।	• समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
• भारत सरकार द्वारा धनराशि रू0 87.39 करोड़ की धनराशि (गत वर्ष की अवशेष धनराशि रू. 30.25 करोड़ एवं वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वर्ष अवमुक्त धनराशि रू. 57.14 करोड़) विभिन्न लेखाशीर्ष (अनुदान सं0 81, 83 एवं 14) के अन्तर्गत अवमुक्त की गई है, निधारित लेखार्शीषों के अन्तर्गत राज्यांश अवमुक्त किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	• समिति को अवगत कराया गया कि राज्यांश प्राप्त होने के पश्चात ही वर्ष 2018–19 की गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाना संभव हो सकेगा।
आर.जी.एस.ए. अन्तर्गत अवशेष धनराशि का विवरण–	• समिति द्वारा वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना में अनुमोदित गतिविधिवार धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

धनराशि करोड़ में।

क्र	वर्ष	स्वीकृत धनराशि	वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष (केन्द्रांश)	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2018–19	249.24	30.25	57.14	0	87.39	0	87.39

वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना –

Rs in Cr

Sl. No.	Components	Amount Approved
1	**Capacity Building & Training**	
a	Capacity Building and Training (GPDP) for ERs and functionaries	53.50
b	Capacity Building and Training (other than GPDP)	45.42
c	Other Activities under CB & T (Development of Training Modules, material, exposure visits, etc.)	0.55
d	Development of Panchayat Learning Centre (PLC) (upto Rs. 5,00,000/- for each PLC)	1.00
	Total CB & T	**100.47**
2	**Institutional Infrastructure**	
a	SPRC	0
b	DPRC	14.00
c	Recurring cost on additional Faculty & maintenance of SPRC (Upto 40 lakh per annum per SPRC)	0.39
d	Recurring cost on additional Faculty at DPRC (upto 10lakh per annum per DPRC)	2.50
e	Administrative and Technical Support	18.00
3	**Panchayat Bhawan Support**	
a	Construction of New Panchayat Bhawan (Upper	60.00

	ceiling Rs. 20 lakh)	
b	Repair of Panchayat Bhawan (Upper ceiling Rs. 4 lakh)	11.00
4	**E- Enablement**	
a	Computer and Accessories (Printer, Scanner and UPS) (Upper ceiling limit 40,000 per)	16.95
b	Support Group- District Level (Upper ceiling limit 35,000per DPMU)	3.15
	Sub Total	**232.93**
5	IEC (2%)	4.66
6	PMU (5%)	11.65
	Total	**249.24**

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि को गतिविधिवार व्यय किये जाने हेतु समिति से अनुमोदन प्रस्तावित है।

समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु–4– वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि की उपलब्धता के अनुसार लिए जाने वाले कार्यो पर चर्चा एवं अनुमोदन।

क्र.सं.	घटक	कार्यान्वयन की रणनीति	
1	**ग्राम पंचायत विकास योजना पर क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधि** (Capacity Building and Training (GPDP) for ERs and functionaries)	<u>प्रस्ताव–</u> 1. राज्य एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों का आयोजन पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), ग्राम्य विकास संस्थानों, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खुली निविदा (आर.एफ.पी) के माध्यम से चयनित ख्याति प्राप्त संस्थानों से आयोजित किये जाएगें। 2. निदेशालय द्वारा उक्त वर्णित आर.एफ.पी. का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को प्रस्तुत किया गया है। 3. योजना अन्तर्गत राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षित रिसोर्स ग्रुप के मास्टर ट्रेनरों को भी प्रशिक्षक रूप में उपयोग किया जाएगा। 4. जनपदों में प्रशिक्षण गतिविधियॉ जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं समन्वयन समिति के अनुमोदन के पश्चात की जाएगी। 5. प्रशिक्षण हेतु कैसकेड विधा का प्रयोग किया जाएगा। 6. प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर विकसित	• **समिति द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन सरकारी संस्थाओं से कराये जाने का अनुमोदन दिया गया एवं जनपद स्तर पर जीपीडीपी अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति एवं राज्य स्तर पर निदेशक, पंचायती राज को इसकी व्यवस्था/ प्रबन्धन करने हेतु सहमति दी गयी।** • **समिति द्वारा अपेक्षित कैसकेड विधा को विस्तार से बताया गया एवं अब तक हुए प्रशिक्षण के विषय में जानकारी दी गयी जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर 300 स्टेट रिसोर्स ग्रुप को प्रशिक्षित किया गया जिन्होने जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड पर 05 की उपलब्धता के आधार पर 4105 डिस्ट्रिक रिसोर्स ग्रुप को प्रशिक्षित किया एवं**

		ट्रेनिंग कैलेन्डर के अनुसार गतिविधियॉ संचालित की जाएगी। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**जनपद स्तर पर प्रशिक्षित डी.आर. जी. द्वारा विकास खण्ड पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है।** • **समिति द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों की वर्तमान में 300 की संख्या को बढाने एवं उनका क्षमता विकास किये जाने के निर्देश दिये गये।**
2	**ग्राम पंचायत विकास योजना के अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधि** (Capacity Building and Training (other than GPDP))	**प्रस्ताव–** 1. राज्य स्तर पर संचार, व्यक्तित्व विकास एवं परिणाम आधारित प्रबंधन, जेण्डर एवं एस.डी.जी. आदि विषयों पर प्रशिक्षणों का आयोजन पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), ग्राम्य विकास संस्थानों, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खुली निविदा (आर.एफ.पी.) के माध्यम से चयनित ख्याति प्राप्त संस्थानों से आयोजित किये जाएगें। 2. तकनीकी प्रशिक्षण (पी.एफ.एम.एस., कम्प्यूटर का आधारभूत प्रशिक्षण, पी.ई. एस. प्रशिक्षण आदि) हेतु राज्य स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नोडल संस्थाओ के माध्यम से किया जाएगा। 3. तकनीकी प्रशिक्षण हेतु पर्यवेक्षण का कार्य राज्य एवं जनपद कार्यक्रम इकाई द्वारा किया जाएगा। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	• **समिति द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन सरकारी संस्थाओं से कराये जाने का अनुमोदन दिया गया एवं जनपद स्तर पर जीपीडीपी अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति एवं राज्य स्तर पर निदेशक, पंचायती राज को इसकी व्यवस्था/प्रबन्धन करने हेतु सहमति दी गयी।**
3	**क्षमता संवर्द्धन हेतु अन्य गतिविधियॉ** (Other Activities under CB & T (Development of Training Modules, material, exposure visits, etc.))	**प्रस्ताव–** 1. प्रशिक्षण मॉड्यूल– विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास यूनिसेफ तथा अन्य पार्टनर संस्थाओं (नियोजन विभाग से अनुमोदित) के सहयोग से किया जाएगा। 2. पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण के साथ वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए कार्यो के	• **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।** • **समिति द्वारा बिन्दु संख्या–04 पर एक्सपोज़र विजिट हेतु प्रस्तावित राज्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में भी एक्सपोजर विजिट कराये जाने का सुझाव दिया गया।**

		डाक्यूमेंटेशन का कार्य सूचना विभाग में पंजीकृत संस्थाओं से कराया जाएगा। 3. प्रशिक्षण गतिविधियों के मूल्यांकन की गतिविधि हेतु खुली निविदा के माध्यम से चयनित अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से कार्य किया जाएगा। 4. राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय के सुझावानुसार विभिन्न राज्यों जैसे– **गुजरात, राजस्थान, असम, पश्चिमी बंगाल, गोवा** अथवा अन्य राज्य जहाँ पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अथवा आय के अन्य स्त्रोतों के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है, में पंचायत प्रतिनिधियों कर्मियों एवं अधिकारियों के समूह का भ्रमण प्रस्तावित है। 5. राज्य के अन्दर भी उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों में विभिन्न ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के समूहो द्वारा भ्रमण प्रस्तावित है। इनमें मुख्यतः मॉडल पंचायतें एवं गत वर्षो में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित पंचायतें सम्मिलित है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
4	**पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना** (Development of Panchayat Learning Centre (PLC) (upto Rs. 5,00,000/- for each PLC))	प्रस्ताव– • प्रदेश में 20 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना अन्तर्गत चयनित मॉडल ग्राम पंचायतों को एक लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए पृथक से रू0 5.00 प्रति लर्निंग सेंटर के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। • ग्राम पंचायतें जिसमें पंचायत भवन स्थापित है एवं सम्पर्क मार्ग से जुडी है उन्हें 20 जनपदों में पी.एल.सी. के तौर में स्थापित किया जायेगा। 20 जनपदों में 08 महत्वाकांक्षी जनपदों	• **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।** • **ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत लर्निंग सेंटर स्थापित किये जाने हेतु निदेशक पंचायती राज से निम्न मानकों पर प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के विषय में समिति को अवगत कराया गयाः–** 1. ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं का कार्यान्वयन 2. ग्राम पंचायत में सुव्यवस्थित

		को अवश्य से सम्मिलित किया जायेगा। जनपदों एवं ग्राम पंचायतों के चयन कार्य हेतु निदेशक, पंचायती राज को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। ● उक्त ग्राम पंचायतों में क्षमता संवर्द्धन, ई–सक्षमीकरण के लिए आधुनिक सुविधाएं एवं कन्वर्जेंस के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि सुविधाएं देते हुए पीयर लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	पंचायत भवन/ सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता हो, जिसमें समस्त सुविधाएं यथा– कम्प्यूटर, इंटरनेट बिजली एवं बाउन्ड्रीवॉल की उपलब्धता हो। यह भी आवश्यक कि ऐसी पंचायत आबादी के बीच हो 3. पंचायत में अन्य संरचनात्मक सुविधाएं हों 4. पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित एवं स्वयं के प्रयासों से आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रतिबद्व हो। 5. पंचायत द्वारा स्वयं आय के स्त्रोतों को विकसित किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा हो।
5.	संस्थागत ढांचा– स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर (एस.पी.आर.सी.) (आवर्ती व्यय)	● राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में फैकल्टी सहयोग हेतु धनराशि रू0 0.39 लाख स्वीकृत किया गया है। ● स्वीकृत धनराशि को प्रिट के साथ–साथ जनपद अम्बेडकर नगर, बलिया एवं कन्नौज में स्थापित प्रशिक्षण सेंटर में से किन्हीं एक सेंटर को फैकल्टी एवं संचालन संबंधी उपयोग में लिये जाने हेतु समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	● **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।** ● **समिति द्वारा प्रिट के अतिरिक्त फैकल्टी सहयोग हेतु जनपद अम्बेडकर नगर में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान को धनराशि हस्तांतरित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।**
	जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) की स्थापना एवं संचालन (अनावर्ती व्यय)	● डी.पी.आर.सी. की स्थापना उन 25 जनपदों में किये जाने का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है जहाँ ग्राम विकास संस्थान के क्षेत्रीय अथवा जनपद स्तरीय रिसोर्स सेंटर उपलब्ध नही है। ● प्रथम चरण में जनपद–**हाथरस, फिरोजाबाद, मेरठ, सोनभद, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, कुशीनगर, अमेठी एवं आजमगढ** तथा द्वितीय चरण में जनपद–**सम्भल, अमरोहा, हापुड़,**	● **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।** ● **उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा 18 डी.पी.आर.सी. की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत कराया गया–** ○ **संतकबीर नगर में प्लिंथ स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।** ○ **फिरोज़ाबाद, सोनभद्र,**

		शामली, चन्दौली, संतकबीरनगर, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर कुल 18 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर हेतु धनराशि रू0 2.00 करोड़ की लागत से सम्बन्धित जिला पंचायतों को अवमुक्त की गई है। • डी.पी.आर.सी. लागत के मानकीकरण पश्चात् धनराशि रू0 2.08 वित्त व्यय समिति द्वारा निर्धारित की गई है जिसमें रू. 2.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा तथा धनराशि 0.08 लाख सम्बन्धित जिला पंचायतों द्वारा वहन किया जाना है। • 18 जनपदों में डी.पी.आर.सी. हेतु स्थल चयन के पश्चात् जिला पंचायतों द्वारा ई–टेंडर प्रकिया से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिला पंचायत को लक्ष्य पूर्ति हेतु मार्च 2019 की समय–सीमा निर्धारित की गई है। 18 रिर्सोस सेंटर का प्रगति विवरण **संलग्नक–1** पर संलग्न है। • तृतीय चरण में 07 रिसोर्स सेंटर जनपद–**चित्रकूट, एटा, भदोही, फर्रूखाबाद, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती** के लिए प्रति डी.पी.आर.सी. धनराशि रू0 2.00 की दर से **समिति द्वारा अम्बेडकर नगर के स्थान पर लखनऊ मण्डल के रायबरेली जनपद में डी.पी.आर.सी. स्थापित किये जाने हेतु धनराशि हस्तांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।** सम्बन्धित जिला पंचायतों को स्थल चयन की कार्यवाही के पश्चात् हस्तान्तिरत किया जाना है। प्रस्ताव– जनपद अम्बेडकरनगर में लोहिया भवन की स्थापना पूर्व से ही है। अतः जनपद अम्बेडकरनगर के स्थान पर लखनऊ मण्डल के किसी जनपद में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**कानपुर देहात, कौशाम्बी, हापुड एवं शामली में नींव स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।** ○ **महोबा, मेरठ, चन्दौली में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।** ○ **आज़मगढ, अमेठी, हाथरस, कुशीनगर, सम्भल, अमरोहा, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में कार्य प्रारम्भ होना शेष है।** • **समिति द्वारा डी.पी.आर.सी. निर्माण की धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति नहीं दी गयी एवं अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पर जिला पंचायत द्वारा स्वयं नियमानुसार स्वीकृत करते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।** • **जिला पंचायत द्वारा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के प्रस्ताव पर समिति द्वारा प्रथमतः पूर्व में अनुमोदित कार्य को पूर्ण कराये जाने तथा अतिरिक्त धनराशि हेतु पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।** • **समिति द्वारा अम्बेडकर नगर के स्थान पर लखनऊ मण्डल के जनपद रायबरेली में डी.पी.आर. सी. स्थापित किये जाने हेतु धनराशि हस्तांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), लखनऊ मण्डल के स्तर से भूमि उपलब्धता संबंधी विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के**

		समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	निर्देश दिये गये।
	जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) की स्थापना एवं संचालन (आवर्ती व्यय)	• डी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन दिनांक 03 जनवरी, 2016 के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है। • समस्त 25 जनपदों में डी.पी.आर.सी. का संचालन किया जा रहा है। • वर्ष 2018–19 में 25 जिला पंचायत सेंटर के संचालन हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख की दर से सम्बन्धित डी.पी.आर.सी. के खाते में हस्तान्तिरत की जानी है। प्रस्ताव– • डी.पी.आर.सी. में कार्यरत चपरासी/कार्यालय सहायक का मानदेय धनराशि रू0 6000 से रू0 10000 प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों के मानदेय एवं यात्रा–व्यय को बढ़ाए जाने के लिए धनराशि की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लेने के लिए मंडलीय समिति अधिकृत है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	• समिति संज्ञानित हुई। • डी.पी.आर.सी. में कार्यरत चपरासी/ कार्यालय सहायक के मानदेय को रू0 6000 से बढाकर रू0 8000 किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6.	**पंचायत भवन हेतु सहायता–** **300 नए पंचायत भवनों का निर्माण (धनराशि रू0 20.00 लाख की दर से)**	प्रस्ताव– महत्वाकांक्षी जनपदों को प्राथमिकता देते हुए पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों हेतु 300 पंचायत भवनों का रू0 17.46 लाख के अनुसार निर्माण लक्ष्य प्रस्तावित है। शेष धनराशि रू0 2.54 लाख में पंचायत भवन में फर्नीचर/पुस्तकालय सुविधा तथा सौर उर्जा की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ग्राम पंचायत का जनपदवार चिन्हांकन **संलग्नक–2** पर है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	• समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

	275 पूर्व निर्मित पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार/ मरम्मत (धनराशि रू0 4.00 लाख की दर से)	प्रस्ताव– जनपदवार लक्ष्य के निर्धारण हेतु अधिकतम धनराशि रू0 4.00 लाख के उपयोग द्वारा पूर्व निर्मित मरम्मत योग्य पंचायत भवनों को क्रियाशील बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ग्राम पंचायत का जनपदवार लक्ष्य चिन्हांकन **संलग्नक–3** पर है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	• **समिति संज्ञानित हुई।** • **समिति द्वारा पंचायत भवन जीर्णोद्धार/ मरम्मत हेतु पंचायत /जनपद स्तर से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप धनराशि हस्तांतरित किये जाने के निर्देश दिये गये।** • **समिति द्वारा लगभग 20 वर्ष पुराने पंचायत भवनों में प्लास्टर एवं छत मरम्मत हेतु धनराशि हस्तांतरित किये जाने के निर्देश दिये गये।**
7	**E.enablement of Panchayats** Support Group-District Level	प्रस्ताव– • **E-enablement** के अन्तर्गत पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान किये जाने हेतु समस्त 75 जनपदों को 01 ए.डी.पी.एम. (सहायक जिला परियोजना प्रबन्धक) की सेवायें दी जा रही है। समिति से समस्त ए.डी. पी.एम. की सेवाओं का विस्तार 31 मार्च, 2020 तक किया जाना निवेदित है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	• **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।**
8	आई.ई.सी.	• स्वीकृत कार्ययोजना की 2 प्रतिशत धनराशि का व्यय पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रचार–प्रसार हेतु ऑडियो–विजुअल, सोशल मीडिया, अभियान, जनपद स्तरीय विशेष गतिविधियॉ, सांस्कृतिक गतिविधियॉ कार्यशाला आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाना है। • राज्य द्वारा मॉडल आई.ई.सी. कार्ययोजना विकसित की गई है। जिसके अनुसार एवं धनराशि की उपलब्धता के अनुसार गतिविधियों का	• **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।**

		संचालन किया जाना है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
9	कार्यक्रम प्रबंधन मद	• योजनान्तर्गत निर्गत मार्गनिर्देशों के अनुरूप राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित है। प्रस्ताव– • राज्य, मंडल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत प्रबंधन इकाईयों में कार्यरत रिर्सोसेज की आउट सोर्सिंग के माध्यम से निक्सी/अन्य राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने वाली शासकीय संस्थाओं से सेवाओं का विस्तार दिनांक 31 मार्च, 2020 तक किया जाना निवेदित है। • पूर्व व्यवस्था अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का का मानदेय, यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया एवं राज्य स्तर पर उपनिदेशक(पं.) /नोडल अधिकार, आर.जी.एस.ए. द्वारा राज्य स्तर पर त्वरित कार्यों के निष्पादन हेतु प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से रू. 50,000/– प्रतिमाह, जिसमें अधिकतम रू. 10,000/– प्रति बिल व्यय करने की स्वीकृति एवं एकल हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण किये जाने का प्रस्ताव। • डा0 राम मनोहर लोहिया अन्तर्गत तकनीकी रिसोर्सेज के पद हेतु निर्गत कुल धनराशि रू0 1,38,11,228 मानदेय में धनराशि रू0 25,11,228/– की कमी को आर.जी. एस.ए. योजना से वहन किया जाना है। डा.राम.मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना में वर्ष	• **प्रथम दो बिन्दुओं पर माननीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।** • **तृतीय बिन्दु पर समिति द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया अन्तर्गत तकनीकी रिसोर्सेज के पद हेतु निर्गत कुल धनराशि रू0 1,38,11,228 मानदेय में धनराशि रू0 25,11,228/– की कमी को आर.जी.एस.ए. योजना से वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।**

		2019–20 की धनराशि के प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि रू0 25,11,228/– की प्रतिपूर्ति योजना से की जाएगी। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कार्ययोजना में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के आधार पर उक्त गतिविधियों को चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। **समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**			• **समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।**
एजेण्डा बिन्दु–5– अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। **अन्य बिन्दु–1–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में।** संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–D.O.No.M-11015/95/2018-CB दिनांक 01 फरवरी, 2019 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में वर्ष 2019–20 हेतु कार्ययोजना तैयार कर समिति स्तर से अनुमोदन पश्चात् भारत सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। तैयार कार्ययोजना **संल्गनक–4** पर संलग्न है। **अन्य बिन्दु–2–पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Economic development and Income Enhancement विषय पर आमंत्रित प्रस्ताव के क्रम में 05 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रषित किये जाने के संबंध में।** पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एम–11015/321/2018–सी.बी. दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 **संल्गनक–5** द्वारा समस्त राज्यों के ग्राम पंचायत स्तर से **Economic development and Income Enhancement** विषय पर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। जिसपर वृहद रूप से चर्चा करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 से 29 जनवरी, 2019 में राष्ट्र स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रदेश के 05 जनपदों यथा बाराबंकी की ग्राम पंचायत चंदवारा, लखनऊ की ग्राम पंचायत लतीफपुर, बुलंदशहर की ग्राम पंचायत वैर बादशाहपुर, गाज़ियाबाद की ग्राम पंचायत भोवापुर एवं सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत पिपरसन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सम्मिलित किये गये है। जिसमें से 04 प्रस्ताव भारत सरकार की			• समिति संज्ञानित हुई। • **समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019– 20 की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।** • **समिति द्वारा सभी 05 ग्राम पचायतों के प्रस्तावों को वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के साथ संलग्न कर भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।**

कार्यशाला में प्रस्तुत किये जा चुके है। 05 ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण **संलग्नक–6** पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशक, पंचायती राज के स्तर से परीक्षण कर भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु समिति से अनुमोदन निवेदित है। **समिति के अवगतार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।**	

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

7.2.19

(महेन्द्र कुमार)
सचिव, पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन

संख्या– 83 /2019–RGSA/14/2018 दिनांक 07 ~~फरवरी~~ मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
2. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
4. विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, प्रिट, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
13. अपर/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज,
14. मुख्य वित एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

(मासूम अली सरवर)
उपाध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति,
/निदेशक(पं0),
पंचायती राज, उ0प्र0।